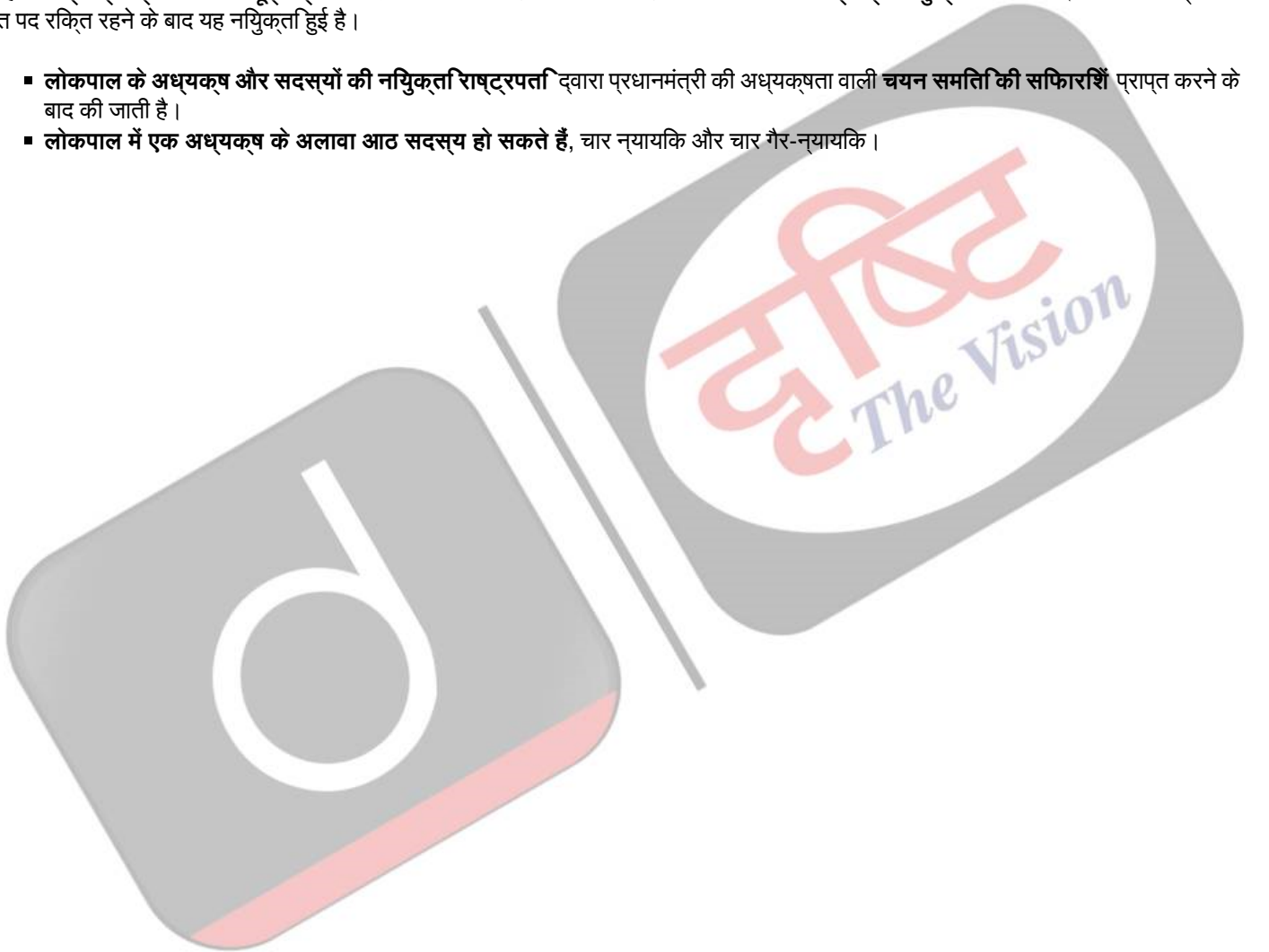


लोकपाल के नए अध्यक्ष

[स्रोत: द हट्टि](#)

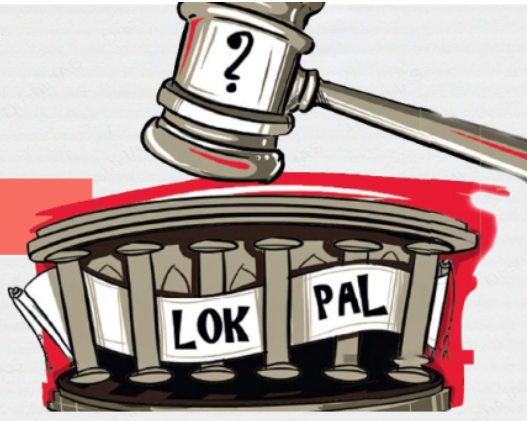
हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अजय माणिकराव खानवलिकर को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। लगभग दो वर्ष तक उक्त पद रिक्त रहने के बाद यह नियुक्ति हुई है।

- लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिशों प्राप्त करने के बाद की जाती है।
- लोकपाल में एक अध्यक्ष के अलावा आठ सदस्य हो सकते हैं, चार न्यायिक और चार गैर-न्यायिक।



लोकपाल

यह एक विधिक निकाय है, जो विशिष्ट लोक अधिकारियों और संबंधित मुद्दों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच करने के लिये "लोकपाल" के रूप में कार्य करता है।



ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

विश्व

- वर्ष 1809: लोकपाल यानी Ombudsman संस्था की आधिकारिक शुरुआत स्वीडन में हुई।

भारत

- वर्ष 1963: लोकपाल का विचार पहली बार संसद में आया।
- वर्ष 1971: महाराष्ट्र में प्रथम लोकायुक्त की स्थापना।
- वर्ष 2011: लोकपाल के लिये अन्ना हजारे का आंदोलन।
- वर्ष 2013: लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011 पारित हुआ।
- वर्ष 2014: लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 लागू हुआ, जिसे वर्ष 2016 में संशोधित किया गया।
- वर्ष 2019: न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल नियुक्त हुए।

विधिक प्रावधान: लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम (2013)

केंद्र में लोकपाल और राज्य में लोकायुक्त संस्था की स्थापना का प्रयास

क्षेत्राधिकार

- इसमें प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद और समूह A, B, C और D के अधिकारी, केंद्र सरकार के अधिकारी शामिल हैं।
- सरकार द्वारा पूर्ण रूप या आंशिक रूप से वित्तपोषित संस्थाएँ।
- FCRA के तहत विदेशी दान में सालाना 10 लाख रुपये से अधिक प्राप्त करने वाली संस्थाएँ।

शक्ति

- सरकार या संबंधित प्राधिकारी के बजाय लोक सेवकों के अभियोजन को स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार।
- लोकपाल द्वारा भेजे गए मामलों के लिये CBI सहित किसी भी जाँच एजेंसी पर अधीक्षण और निर्देशन की शक्ति।
- इसमें अभियोजन लंबित होने पर भी, भ्रष्ट तरीकों से अर्जित लोक सेवकों की संपत्ति की कुर्की और जब्ती के प्रावधान शामिल हैं।

सज़ा

- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत सज़ा को बढ़ाने का प्रावधान है।

नियुक्ति

- चयन समिति के माध्यम से अध्यक्ष और सदस्यों का चयन (प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता, CJI या C.J. द्वारा नामित मौजूदा उच्चतम न्यायालय के जज और राष्ट्रपति द्वारा नामित एक प्रतिष्ठित न्यायविद्)।
- खोज समिति (Search Committee), चयन प्रक्रिया में चयन समिति की सहायता करती है।

संरचना

- अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य, जिसमें
 - 50% न्यायिक सदस्य।
 - 50% अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अल्पसंख्यक एवं महिलाएँ।

कार्यकाल

- 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक।



Drishti IAS

और पढ़ें: [लोकपाल और लोकायुक्त](#)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/new-chairperson-of-lokpal>